M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION -2019

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 12
कुल प्रश्नों की संख्या : 12

No. of Printed Pages : 4
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4

CONSTITUTION, CIVIL LAW & PROCEDURE
संविधान, व्यवहार विधि एवं प्रक्रिया

First Question Paper
प्रथम प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषेध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो ऐसी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./ प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks/ अंक

CONSTITUTION OF INDIA
भारत का संविधान

1. Describe the protection in respect of conviction for an offence as provided in Constitution. Compare the same with the analogous provisions in Criminal Law. — 8
भारतीय संविधान में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में उपबंधों का वर्णन करें एवं आपराधिक विधि में इसके अनुरूप तुलनात्मक प्रावधानों को स्पष्ट करें।

2. Describe prohibition of discrimination based on sex. Explain meaning, scope and extent of term "citizen" within the purview of Constitution of India. — 8
लिंग पर आधारित भेदभाव के प्रतिषेध का वर्णन करें । ''नागरिक'' शब्द के अर्थ, क्षेत्र व विस्तार को भारतीय संविधान की परिधि में स्पष्ट करें ।

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

3. When an order for injunction may be discharged, varied or set aside ? What are the consequences of disobedience or breach of injunctioin ? — 8
कब निषेधाज्ञा का आदेश प्रभावोन्मुक्त, फेरफार या अपास्त किया जा सकेगा ? निषेधाज्ञा की भंग या अवहेलना के क्या परिणाम होते हैं ?

4. Explain the meaning, nature, scope and modes of setting up counter claim. Who may file counter claim and upto which stage a counter claim may be set up ? Discuss the effect of counter claim. — 8
प्रतिदावे का अर्थ, उसकी प्रकृति एवं विस्तार समझाते हुये उसे प्रस्तुत करने के ढंगों को समझाइये। प्रतिदावा कौन प्रस्तुत कर सकता है और कब तक प्रस्तुत किया जा सकता है ? प्रतिदावा प्रस्तुत करने के प्रभाव को भी बताइये ?

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

5. Explain the doctrine of "feeding the grant by estoppels" ? 8
"विबंधन के द्वारा अनुदान का पोषण" सिद्धांत को समझाइये ?

6. Explain the necessary conditions for the application of the doctrine of part performance. Who can avail this doctrine ? 8
आंशिक पालन के सिद्धान्त को लागू होने के लिये आवश्यक दशाओं को स्पष्ट कीजिए । इस सिद्धान्त को कौन उपयोग में ला सकता है ?

INDIAN CONTRACT ACT, 1872
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

7. Explain the doctrine of Ratification. What acts cannot be ratified ? 8
अनुसमर्थन का सिद्धान्त स्पष्ट करें। किन कार्यों का अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता ?

8. Explain and distinguish between a contract of Indemnity and a contract of Guarantee. Explain that "The liability of the surety is co-extensive with principal-debtor" ? 8
क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा को समझाते हुए उनमें विभेद कीजिये । "प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के साथ सहविस्तीर्ण होता है।" स्पष्ट कीजिये ?

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

9. What are the discretion(s) and powers of the Court regarding Specific Performance and what changes are introduced by amendment of 2018 ? 8
विनिर्दिष्ट अनुतोष के संबंध में न्यायालय के विवेक और शक्तियाँ क्या हैं और 2018 के संशोधन से क्या परिर्वतन किया गया है ?

10. What do you understand by the Preventive relief ? What is the object of granting this relief ? Distinguish between specific performance and preventive relief ? 8
निवारक अनुतोष से आप क्या समझते हैं ? इस सहायता को प्रदान किये जाने का उद्देश्य क्या है ? विनिर्दिष्ट पालन एवं निवारक अनुतोष में क्या अंतर है ?

LIMITATION ACT, 1963
परिसीमा अधिनियम, 1963

11. What are the circumstances under which certain period of time is excluded while computing the limitation period ? Explain. 8

वह कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके अन्तर्गत मियाद (परिसीमा) अवधि की गणना करते समय कुछ निश्चित समयावधि को अपवर्जित किया जाता है ? स्पष्ट करें ।

MIXED
मिश्रित

12. **Write Short-notes on / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये : -**

(A) Res sub judice- Stay of suit 4
(अ) वाद को रोक दिया जाना

(B) Court of record 4
(ब) अभिलेख न्यायालय

(C) Anticipatory breach of Contract. 4
(स) संविदा का पूर्वकालिक भंग।

****

M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION -2019

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 5
Total No. of Questions : 5

मुद्रित पृष्ठों की संख्या :
No. of Printed Pages :

ARTICLE & SUMMARY WRITING
लेखन एवं संक्षेपण

Second Question Paper
द्वितीय प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषेध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक

1. Write an article in Hindi or English, on any one of the following ***social*** topics :- **30**
निम्नलिखित ***सामाजिक*** विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :–

   (i) Social networking sites- A curse to personal state.
   सोशल नेटवर्किंग साईट्स– व्यक्तिगत अवस्था के लिए अभिशाप।

   (ii) Social justice through reservation to economically weaker section.
   आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय।

2. Write an article in Hindi or English, on any one of the following ***legal*** topics:- **20**
निम्नलिखित ***विधिक*** विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :

   (i) Doctrine of Judicial review in India.
   भारत में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत ।

   (ii) The Aadhaar Card and Right to Privacy
   आधार कार्ड एवं निजता का अधिकार।

3. **Summarize the one of the following English /Hindi passage –** **20**
निम्नलिखित अंग्रेजी/हिन्दी अंश में से किसी एक का संक्षिप्तिकरण कीजिए –

The Constituent Assembly, while debating on the draft of the Constitution of India had set up an adhoc committee headed by Dr. Rajendra Prasad to select a flag for independent India. The Committee recommended that the flag of the Indian National Congress be adopted as the National Flag of India in its present form. The resolution was approved unanimously by the Constituent Assembly on 22 July 1947. The National Flag of India is based on the *Swaraj* flag of Indian National Congress designed by Pingali Venkayya. The Indian National Flag is a tri-coloured panel made up of three rectangular panels or sub-panels of equal widths. The colour of the top panel is India saffron (Kesari) and that of the bottom panel is India green. The middle panel is white, bearing at its centre the design of Ashoka Chakra in navy blue colour with 24 equally spaced spokes. This wheel is a replica of the wheel of Ashoka's Lion Capital at Sarnath. The Ashoka Chakra should

preferably be screen printed or otherwise printed or stenciled or suitably embroidered and should be completely visible on both sides of the Flag in the centre of the white panel. The ratio of the length to the height (width) of the Flag shall be 3:2. The National Flag of India should be made of hand spun and hand woven wool/cotton/silk khadi bunting. The manufacturing process and specifications for the flag are laid out by the Bureau of Indian Standards. The Flag Code prescribes a total of 9 different standard sizes of the National Flag. Use and authority to display the National Flag is regulated by the Flag Code of India (2002) issued by the Department of Home Affairs, Government of India.

Hon'ble the Supreme Court, in a noted decision of *Union of India v. Naveen Jindal*, has held that "right to fly the National Flag freely with respect and dignity is a fundamental right of a citizen within the meaning of Article 19(1)(a) of the Constitution of India being an expression and manifestation of his allegiance and feelings and sentiments of price for the nation." By the mandate of the Apex Court, every citizen of India now has a right to fly the National Flag. However, this right is not unrestricted but regulated by the related enactments and the provisions of the Flag Code. The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 (as amended by the Amendment Act, 2003) provides for measures to prevent the insulting acts with regard to the Indian National Flag, whereas, the Emblems and Names (Prohibition of Improper Use) Act, 1950 prohibits the use of National Flag for the purpose of trade, business, calling or profession, or in the title of any patent, or in any trademark or design, violation of the same is punishable.

In any public place or within public view, burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or otherwise shows disrespect to or brings into contempt the Indian National Flag or any part thereof, is punishable under the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971. Other forms of the National Flag like

picture, painting, drawing or photograph, or other visible representation of it or any part thereof are also deemed to be insulting acts to the National Flag.

अथवा / OR

भारत के संविधान के प्रारुप पर चर्चा के दौरान, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को स्वीकार करते हुए डा. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत के लिए ध्वज की डिजाइन हेतु तदर्थ समिति गठित की थी। समिति ने वर्तमान स्वरुप के ही राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किये गये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के "स्वराज" ध्वज पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार, बराबर अनुपात की तीन अलग–अलग रंग की, अर्थात् सबसे ऊपर गहरे केसरिया, मध्य में सफेद एवं सबसे नीचे गहरे हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बना होता है। साथ ही मध्य की सफेद पट्टिका पर गहरे नीले रंग में 24 तीलियों का चक्र होता है जो अशोक के सारनाथ स्तंभ के चक्र की अनुकृति है। पट्टिकायें और चक्र दोनों ओर से एक समान रंग–रुप की दिखाई देना चाहिये। ध्वज की लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज के लिये सूती या रेशमी खादी के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण एवं विशिष्टियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक निर्धारित है। ध्वज संहिता में कुल 9 अलग–अलग मानक आकार के ध्वज विहित किये गये है। भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी ध्वज संहिता (2002) के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और प्राधिकार को विनियमित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने *भारत संघ बनाम नवीन जिन्दल* के बहुचर्चित मामले में अवधारित किया है कि सम्मान और गरिमा के साथ अबाध रुप से राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग और प्रदर्शन का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(क) के अर्थों में देश के प्रति राष्ट्रभक्ति, चेतना और भावों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की उक्त व्यवस्था से देश के आम नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला है लेकिन यह अधिकार निर्बाध नहीं है वरन् तत्संबंधी अधिनियमों और ध्वज संहिता के प्रावधानों से निर्बन्धित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपमानजनक कृत्यों को रोकने और दोषी व्यक्ति को दण्डित करने के लिए "राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971" में उपबंध किये गये है। जबकि "संप्रतीकों एवं नामों का अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम, 1950" राष्ट्रीय ध्वज के व्यापार, व्यवसाय, आजीविका अथवा वृत्ति के प्रयोजन से उपयोग का प्रतिषेध करता है। उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान है।

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के अंतर्गत, किसी सार्वजनिक स्थान या ऐसे स्थान में जो आम जनता को दृष्टव्य हो, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, फाड़ने, उसका रुप बिगाड़ने, कुरुप या दूषित करने, नष्ट करने, रौंदने अथवा कहे या लिखे गये शब्दों या किसी कृत्य द्वारा तिरस्कार करने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के किसी भाग, तस्वीर, रंगचित्र, छायाचित्र या इसके किसी दृश्य–प्रतिरुप का अनादर भी राष्ट्रीय ध्वज का अनादर समझा जाता है।

4. **Translate the following 15 Sentences into English :-**
निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :– **15**

(1) किसी पुलिस आफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध साबित न की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 49 यह नहीं कहती कि कोई भी अपंजीकृत दस्तावेज, जो पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है, साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(3) यदि दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो निष्पादित बन्धपत्र, शून्य हो जाएगा ।

(4) वादमित्र की नियुक्ति विधि के अनुसार की गई थी ।

(5) सभी अभियुक्तगण लोक सेवक है और जिम्मेदार एवं गरिमा के पदों को धारण किये हुये हैं ।

(6) यह ऐसा विरल से विरलतम प्रकरण नहीं है जिसके लिये अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाये ।

(7) यदि लिपकीय त्रुटि से वाक्य में केवल 'नहीं' शब्द छूट जाये तो वह त्रुटि भी तात्विक प्रभाव डाल सकती है ।

(8) ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे प्रबंधक से संपर्क करें ।

(9) इस शर्त के साथ पुस्तक विक्रय की जा रही है कि किसी भी विवाद की स्थिति में सिर्फ दिल्ली न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा ।

(10) किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं ।

(11) प्रत्येक राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा ।

(12) एक न्यायाधीश अपने न्यायिक कर्तव्यों को बिना अनुग्रह, पक्षपात या पूर्वाग्रह के निभायेगा ।

(13) वैवाहिक विवादों के वास्तविक निपटारे को प्रोत्साहित करना न्यायालयों का कर्तव्य है ।

(14) आपराधिक षड्यंत्र साधारणतः गोपनीयता में ही रचा जाता है, जिसके कारण प्रत्यक्ष साक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होता है ।

(15) चुनौती का अगला आधार यह है कि दुर्घटना मृतक के उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण ढंग से चालन के कारण घटित हुई थी ।

5. **Translate the following 15 Sentences into Hindi :-** 15
निम्नलिखित 15 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :–

(1) Finding of the learned trial court is mainly based on the statements of injured eye witnesses.

(2) The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn, should be fully established.

(3) Each material proposition affirmed by one party and denied by the other shall form the subject of a distinct issue.

(4) Testimony of the hostile witness cannot be totally discarded.

(5) Day to day proceedings in a criminal trial is a rule and adjournment is an exception.

(6) The suit property lost its ancestral character after its partition and had become self acquired property.

(7) Judgment of other High Courts are not binding although they have persuasive value.

(8) Social action can be undertaken by the elites exclusively without the participation of the masses.

(9) The manuscripts, composed by poet Jayadeva are being exhibited at the Prince auditorium.

(10) He announced rupees twenty billion worth of investments in cash and reserves.

(11) To constitute the offence of abetment it is not necessary that the act abetted should be committed.

(12) Nothing is said to be done or believed in "good faith" which is done or believed without due care and attention.

(13) When a witness is cross-examined, he may be asked any question which tend to test his veracity and to shake his credit by injuring his character.

(14) The letter of request shall be transmitted in such manner as the central government may specify.

(15) The directions issued by the High Court in the impugned order are upheld with the following additions and modifications.

****

M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION -2019

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 12
कुल प्रश्नों की संख्या : 12

No. of Printed Pages : 4
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4

LOCAL LAWS, CRIMINAL LAWS & PROCEDURE
स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया

Third Question Paper
तृतीय प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषेध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks /अंक

M.P. ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961
म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

1. What is denial of the landlord's title or disclaimer of tenancy ? What impact it has on the tenant's liability for eviction under the Act ? 8

   भवन–स्वामी के स्वामित्व से इंकार या किरायेदारी से इंकार करना क्या होता है ? अधिनियम के अन्तर्गत किरायेदार के निष्कासन के संबंध में इसका क्या प्रभाव होता है ?

2. What is composite tenancy ? Describe the legal necessities for a decree of eviction on the ground of bonafide need for non-residential purpose only where the tenancy was created for composite purpose. 8

   समष्टि (संयुक्त) किरायेदारी क्या है ? केवल गैर–निवासीय प्रयोजन के लिये सद्भावी आवश्यकता के आधार पर समष्टि प्रयोजन से किराये पर दिये गये स्थान से, निष्कासन की डिक्री के लिये, विधिक आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।

M.P. LAND REVENUE CODE, 1959
म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

3. Describe the procedure of partition of holding. How does it differ from disposal of holdings ? 8

   खाते के विभाजन की प्रक्रिया समझाइये । यह खातों के निपटारा से किस प्रकार भिन्न है ?

4. Under what circumstances a Bhumiswami can lease the whole of his holding consecutively for more than 1 year and when such lessee may be ejected ? 8

   किन परिस्थितियों में एक भूमिस्वामी उसके सम्पूर्ण खाते की भूमि को लगातार एक वर्ष से अधिक के लिये पट्टे पर दे सकता है और ऐसे पट्टेदार को कब बेदखल किया जा सकेगा ?

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

5. "Oral evidence is excluded by documentary evidence." Explain this rule and state the exceptions, if any, to this rule. 8

"मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा होता है।" इस नियम को समझाइये तथा इस नियम के अपवादों, यदि कोई हों, को बताइये ?

6. How can a party impeach the credit of witness in following circumstances ? 8
(i) His own witness and
(ii) A witness produced by the opposite party.

साक्षियों की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप निम्न परिस्थितियों में कैसे किया जा सकता है ?

(1) पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से, और

(2) प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्षी से ।

INDIAN PENAL CODE, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860

7. What is an "Unlawful Assembly" ? Who is said to be the member of an unlawful assembly ? When is a member of an unlawful assembly constructively liable for the offence committed by any other member of that assembly ? Can less than five persons be convicted with the aid of Sec. 149 ? 8

विधि विरूद्ध जमाव क्या है ? विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य किसे कहा जायेगा ? एक विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य उस जमाव के किसी अन्य सदस्यों द्वारा किये गये अपराध के लिए कब आन्वयिक रूप से दायी होगा ? क्या पाँच से कम व्यक्तियों को धारा 149 की सहायता से दोषसिद्ध किया जा सकता है ?

8. Describe any two and distinguish between the following :- 8
(1) Cheating & Criminal breach of trust.
(2) Abetment & Criminal conspiracy.
(3) Giving false evidence and fabricating false evidence.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो को समझाते हुए उनमें विभेद कीजिए :–
(1) छल एवं आपराधिक न्यास भंग ।
(2) दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षड्यंत्र ।
(3) मिथ्या साक्ष्य देना एवं मिथ्या साक्ष्य गढ़ना ।

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

9. Explain the circumstances in which release on bail is mandatory ? 8

उन परिस्थितियों को समझाइये जिनमें जमानत पर उन्मुक्त करना आज्ञापक है ?

10. What is First Information Report ? Discuss its evidentiary value ? What is the difference between FIR and the complaint ? 8

प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है ? इसके साक्ष्यिक महत्व का वर्णन कीजिए ? प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं परिवाद में क्या अंतर है ?

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

11. Explain the liablity of the persons in case of dishonour of cheque issued by company. 8

कंपनी द्वारा जारी किए गए चैक अनादर होने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों के दायित्व को समझाइये ।

MIXED
मिश्रित

12. **Write Short-notes on / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये : -**

(A) When does the right of private defence of the property extend to causing of death ? 4

(अ) संपत्ति के निजी बचाव का अधिकार कब मृत्युकारित करने तक विस्तारित होता है ?

(B) Government lessee 4

(ब) सरकारी पट्टेदार

(C) Modes of proving a signature. 4

(स) हस्ताक्षर को सिद्ध करने के ढंग।

****

M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION - 2019

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 14
No. of Printed Pages : 14

JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

Fourth Paper
चतुर्थ प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषेध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./ प्र.क्र. | Question / प्रश्न | Marks/ अंक

SETTLEMENT OF ISSUES
विवाद्यकों का स्थिरीकरण

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given here under - **10**

PLAINTIFF'S PLEADINGS **:-**

Plaintiff 'A' filed an eviction suit against 'C' with the pleadings that the shop situated at Hazira, Gwalior (M.P.) (Herienafter referred as suit shop) was let out to the defendant @ Rs.200/- per month. Later on rent of suit shop was increased twice and presently, the defendant is paying Rs. 650/- as rent to the plaintiff. Earlier, the defendant was doing business of ready-made garments in the suit shop but after death of his wife in the year 2018, he shifted to Surat (Gujarat) & sub-let the suit shop to 'D', which was done without the consent or permission of the plaintiff. The plaintiff requires the suit shop to start business of his son 'B' who is unemployed. Plaintiff 'A' has no suitable alternative accommodation for business of his unemployed son.

WRITTEN STATEMENT **:-**

The defendant has admitted the factum of tenancy and rent as pleaded in the plaint. However, he has denied the rest of the pleadings of the plaintiff. The defendant has contended in his written statement that plaintiff has filed the present suit with the ulterior motive to increase rent. According to the defendant, it has been written in the rent note that the defendant can operate his garment business himself or through his family member. The defendant has further pleaded that the defendant has shifted and is living in Surat with his elder son, but he has not parted with the possession of the suit shop and he is still in possession of the suit shop through 'D', his nephew. Thus, there is no breach of the rent

agreement and of the prevalent law as well. The plaintiff is receiving rent regularly. Thus, the suit is liable to be dismissed. According to the defendant, the enhancement of rent twice is itself a sufficient ground to presume that the plaintiff is not having bonafide requirement of suit accommodation.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन –

वादी 'क' ने प्रतिवादी 'ग' के विरूद्ध इन अभिचनों के साथ निष्कासन के लिये वाद प्रस्तुत किया कि हजीरा, ग्वालियर (म.प्र.) स्थित दुकान (जिसे आगे वादग्रस्त दुकान से निर्देशित किया गया है) प्रतिवादी को 200/–रूपये प्रतिमाह पर किराये पर दी गई थी। बाद में वादग्रस्त दुकान का दो बार किराया बढ़ाया गया और वर्तमान में प्रतिवादी किराये के रूप में 650/–रूपये मासिक अदा कर रहा है। आरंभ में प्रतिवादी वादग्रस्त दुकान में रेडीमेड गारमेन्ट का व्यवसाय स्वयं कर रहा था किंतु सन् 2018 में अपनी पत्नी की मृत्यु होने पर वह सूरत (गुजरात) मे रहने लगा एवं दुकान को 'घ' को वादी की सहमति या अनुमति के बगैर उप किरायेदारी पर दे दिया है । वादी को इस दुकान की अपने पुत्र 'ख' के व्यवसाय के लिये आवश्यकता है, जो कि बेरोजगार है। वादी के पास बेरोजगार पुत्र 'ख' के व्यवसाय हेतु अन्य कोई उपयुक्त वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है।

प्रतिवादी के अभिवचन –

प्रतिवादी ने किरायेदारी और वाद पत्र में अभिकथित किराये के निर्धारण को स्वीकार किया है, लेकिन उसने वादी के अन्य अभिवचनों को अस्वीकार किया। प्रतिवादी ने लिखित कथन में यह दावा किया है कि कि वादी केवल किराया बढ़ाना चाहता है और इसी अन्तरस्थ हेतुक से उसने यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी के अनुसार किरायानामा में यह लिखा गया है कि प्रतिवादी अपने गारमेन्ट व्यवसाय को स्वयं या अपने परिवार के सदस्य के द्वारा कर सकता है। प्रतिवादी अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ सूरत में रह रहा है किंतु उसने दुकान के कब्जे से अपने आपको पृथक नहीं किया है बल्कि अभी भी अपने भतीजे 'घ' के माध्यम से कब्जे में है। इस प्रकार किरायानामा की शर्तों तथा प्रचलित विधि का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। वादी नियमित रूप से किराया प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार वाद खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी के अनुसार दो बार किराया बढ़ाया जाना स्वयं में यह उपधारित करने का पर्याप्त आधार है कि वादी को कोई सद्भावी आवश्यकता नहीं है।

FRAMING OF CHARGES
आरोपों की विरचना

Q. 2 Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under.- **10**

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS – On 13.02.2019 the prosecutrix 'P' lodged a F.I.R. in police station Kotwali, Narsinghpur alleging that at about 11.00 P.M. when she was sleeping with her two years old son in her house situated at Koshti Mohalla, Narsinghpur, accused "A" entered into her house using a rope, caught hold of her hand and kissed her. As the prosecutrix screamed, witness "K" reached there. Seeing him, accused pushed aside the complainant and ran away. Meanwhile, some other neighbours also reached there and prosecutrix narrated incident to them also. Next day, her husband came back, then prosecutrix lodged F.I.R. at police station Kotwali, Narsinghpur. The Investigating officer registered the crime No. 20/2019 and after investigation submitted the Charge-sheet.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये –

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन :– दिनांक 13.02.2019 को अभियोक्त्री 'पी' ने पुलिस स्टेशन कोतवाली, नरसिहपुर में यह अभिकथित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि लगभग 11.00 बजे रात्रि को जब वह अपने कोष्टी मोहल्ला, नरसिंहपुर स्थित घर में दो वर्षीय पुत्र के साथ सो रही थी तो अभियुक्त 'ए' उसके घर में रस्सी का उपयोग करते हुये घुसा और उसका हाथ पकड़ लिया और चुम्बन ले लिया। जब अभियोक्त्री चिल्लाई तो वहाँ साक्षी 'के' पहुँच गया और उसे देखकर अभियुक्त ने परिवादिया को धक्का मारा और वह भाग गया। उसी समय कुछ अन्य पड़ोसी भी पहुँच गये और अभियोक्त्री ने उन्हें भी घटना का वृतान्त सुनाया। अगले दिन पति के घर आने पर कोतवाली, नरसिंहपुर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई। अन्वेषण अधिकारी ने अपराध क्रमांक 20/2019 पंजीबद्ध किया और अन्वेषण के पश्चात् अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

JUDGMENT/ORDER (CIVIL) WRITING (CJ-II)
निर्णय / आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II)

Q. 3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given below after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :- **40**

Plaintiff's Pleadings **:-**

1- Plaintiff "A" filed a civil suit against "B" for possession of part of agriculture land bearing Khasra no. 213 measuring 10 X 100 sq. yard (Hereinafter called the suit land). The suit land belongs to the plaintiff and is adjacent to land Khasra number 212 situated on east side of suit land, owned by the defendant "B".

2- The defendant "B" took unlawful possession of the suit land *i.e.* a strip of land measuring 10 X 100 sq. yard bearing khasra number 213. The defendant "B" merged the suit land in his land bearing Khasra number 211 and 212 and enclosed the entire land with barbed wire fencing. The defendant "B" also dug a bore well over the suit land for irrigation of suit land and his land bearing Khasra number 211 and 212 as well.

3- The plaintiff got demarcated the land bearing Khasra number 212 and 213 and thereby ascertained the encroachment of defendant 'B' over the suit land.

4- Consiquently, the plaintiff also served a legal notice to the defendant 'B' to vacate the suit land but the same has been opposed by 'B' the defendant and he has also refused to vacate the suit land.

Defendant's Pleadings :-

1- The defendant 'B' filed written statement and pleaded that he had purchased agriculture land bearing Khasra no. 212 measuring 2.50 acres from 'C' vide registered sale deed dated 11-04-2015 for a consideration of Rs. 300000/- (Three lacs). The land bearing Khasra number 213, owned by the plaintiff, is situated in western side to his land bearing Khasra number 211 and 212.

2- After purchase of the land, defendant 'B' raised barbed wire fencing all around the land bearing Khasra number 211 and 212 alongwith suit land and dug a bore well for irrigation.

3- The defendant 'B' has further pleaded that the vendor 'C' was in possession and cultivating the suit land for more than last 12 years. The defendant bonafidely believed that the area enclosed by barbed wire fencing is part of his land bearing Khasra number 212, which has been purchased by him from 'C'. He is not the trespasser of suit land but a bonafide purchaser by paying adequate and proper consideration, without notice that the suit land is the part of land bearing Khasra number 213 owned by the plaintiff.

4- In the alternative, the defendant 'B' has also pleaded that in case the plaintiff succeeds to prove that the suit land is part of land bearing Khasra number 213, the plaintiff may be directed to compensate him by giving the value of the improvement made by defendant or he be directed to sell out suit land to defendant.

<u>Plaintiff's Evidence</u> :-

The plaintiff examined himself and one Revenue Inspector 'D' to prove his case. The plaintiff proved his pleadings. In cross-examination, the plaintiff denied that the suit land was in possession of the vendor 'C' for more than 12 years.

The Revenue Inspector 'D' has proved Khasra panchsala, demarcation report and map prepared on the basis of demarcation report in which boundaries of Khasra no. 212 & 213 has been shown specifically. 'D' has also deposed that the suit land marked by red ink 10 X 100 sq. yard is a part of khasra number 213 owned by the plaintiff but such land has been fenced and is in possession of 'B'. In cross-examination he has denied the suggestion of the defendant 'B' that the vendor 'C' was in possession of the suit land for the last more than 12 years. The witness has also stated that on the basis of khasra panchsala of preceding five years, there is no entry about the possession of the vendor 'C' over the suit land.

<u>Defendant's Evidence</u> :-

The defendant 'B' has examined himself and the vendor 'C'. The defendant proved his pleadings. He also placed on record and exhibited sale deed dated 11-04-2015 executed by 'C' in favour of the defendant.

In cross-examination he has admitted that the land bearing Khasra number 212 area 2.50 acres purchased by him from vender 'C' was neither measured nor demarcated by the vendor before selling it.

The vendor 'C' has stated that he was cultivating the suit land along with his own land bearing Khasra number 212 for the last more than 12 years but neither the plaintiff nor his deceased father ever objected for the same.

In cross-examination, 'C' has admitted that there is no entry in Khasra of the preceding five years regarding his possession on the suit land. He has also admitted that the plaintiff had informed him about the initiation of demarcation proceedings. He has also admitted that the actual area of land bearing khasra number 212 possessed by him was determined only after the demarcation of land at the instance of the plaintiff.

Arguments of Plaintiff :-

The counsel for the plaintiff has argued that the plaintiff has proved his case that the defendant encroached over the suit land illegally and raised barbed wire fencing. He has also argued that plaintiff is entitled to a decree of possession of suit land against the defendant. The defendant did not act in good faith in raising wire fencing and digging bore well. The defendant is not in bonafide possession of the suit land. The Counsel for the plaintiff has also argued that the defendant has not challenged the demarcation report of the revenue officer by filing an appeal.

Arguments of Defendant :-

The counsel for the defendant argued that the defendant has acted in good faith in raising the barbed wire fencing under the belief that the suit land is part of land bearing Khasra number 212 purchased by him from 'C'. He has also argued that in case the plaintiff succeeds in proving that the suit land is a part of the land bearing Khasra number 213 and the defendant is to be evicted from the same, the plaintiff may be directed to compensate the defendant by giving the value of the improvement made by him or he be directed to sell out suit land to the defendant.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी के अभिवचनः–

1. वादी 'अ' ने प्रतिवादी 'ब' के विरूद्ध कृषि भूमि माप 10x100 वर्ग गज (इसके उपरांत जिसे वादग्रस्त भूमि कहा जायेगा) जो कि वादी की कृषि भूमि खसरा नं. 213 का भाग है, का आधिपत्य प्राप्त करने के लिये दावा प्रस्तुत किया है । वादी की वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 213, पूर्व में स्थित खसरा नं. 212 से लगी हुई है जो प्रतिवादी 'ब' के स्वामित्व की है।

2. प्रतिवादी 'ब' ने उसकी (वादी 'अ' की) भूमि ख.नं. 213 के 10 x 100 वर्ग गज भाग, का अवैध आधिपत्य प्राप्त कर लिया। प्रतिवादी 'ब' ने वादग्रस्त भूमि के सहित उसकी भूमि ख.नं. 211 तथा 212 के चारों ओर कटीले तार की फेंसिंग बना ली। प्रतिवादी 'ब' ने वादग्रस्त भूमि में एक कुआँ भी, वादग्रस्त भूमि और खं.नं. 211 तथा 212 की भूमि पर सिंचाई के लिए खोदा है।

3. वादी ने भूमि ख.नं. 212 तथा 213 का सीमांकन कराया और उसके द्वारा यह निश्चित किया कि प्रतिवादी 'ब' ने वादी की वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है ।

4. वादी ने वादग्रस्त भूमि रिक्त करने हेतु प्रतिवादी 'ब' को कानूनी सूचना पत्र भेजा किंतु 'ब' ने उसका विरोध किया और वादग्रस्त भूमि रिक्त करने से इंकार कर दिया।

प्रतिवादी के अभिवचनः–

1. प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया और यह बचाव किया कि ख.नं. 212 माप 2.50 एकड़ की भूमि विक्रेता 'स' से तीन लाख रूपये की प्रतिफल में पंजीयत विक्रय पत्र दिनाँक 11.04.2015 द्वारा क्रय की थी। वादी के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 213, प्रतिवादी की भूमि ख.नं. 211 तथा 212 के पश्चिम दिशा में स्थित है।

2. भूमि क्रय करने के पश्चात् 'ब' ने ख.नं. 211 तथा 212 की भूमि के चारों ओर कटीले तार की फेंसिंग बनाई और ख.नं. 212 की भूमि में एक कुआँ, भूमि ख.नं. 211 तथा 212 की सिंचाई के लिए खोदा।

3. प्रतिवादी ने आगे बचाव लिया कि विक्रेता 'स' वादग्रस्त भूमि में पिछले 12 वर्षों से अधिक अवधि से कास्त–कब्जे में था। इसलिए प्रतिवादी 'ब' ने सद्भावी रूप से विश्वास करते हुए कि कंटीले तारों से घेरी वादग्रस्त भूमि ख.नं. 212 का हिस्सा है जो विक्रेता 'स' ने उसे पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय किया है। वह वादग्रस्त भूमि का अतिक्रमणकारी नहीं है बल्कि बगैर जानकारी कि, वादग्रस्त भूमि वादी के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 213 का हिस्सा है, उसके द्वारा उचित मूल्य देकर सद्भाविक क्रय किया गया है ।

4. विकल्प में, प्रतिवादी 'ब' ने यह भी प्रकथन किया कि यदि वादी यह प्रमाणित करने में सफल हो जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 213 का भाग है, उस स्थिति में वादी को निर्देश दिया जावे कि वह प्रतिवादी को उसके द्वारा विवादग्रस्त भूमि में की गई 'उन्नति' का मूल्य प्रदान करके क्षतिपूर्ति करे अथवा वादग्रस्त भूमि उसे विक्रय कर दे।

<u>वादी की साक्ष्य :–</u>

वादी ने उसका प्रकरण प्रमाणित करने के लिए स्वयं तथा राजस्व निरीक्षक 'ड' का परीक्षण किया है। वादी ने अपने प्रकथन को प्रमाणित किया। प्रतिपरीक्षण में वादी ने अस्वीकार किया कि विवादित भूमि पिछले 12 वर्ष से अधिक की अवधि से विक्रेता 'स' के कब्जे में थी।

राजस्व निरीक्षक 'ड' ने पंचसाला खसरा तथा सीमांकन रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर तैयार किये गए नक्शा में उसने ख.नं. 212 तथा 213 की सीमाओं को दर्शाया है । साक्षी 'ड' ने यह भी कथन किया कि 10x100 वर्ग गज वादग्रस्त भूमि को लाल स्याही से ख.नं. 213 वादी के स्वामित्व की है किंतु प्रतिवादी 'ब' द्वारा फेंसिंग करके आधिपत्य में ले ली गई है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने प्रतिवादी 'ब' का यह सुझाव अस्वीकार किया कि विक्रेता 'स' इस भूमि के कब्जे में 12 वर्ष की अधिक की अवधि से है। उसने पिछले पाँच वर्षों के खसरा पंचसाला के आधार पर कथन किया कि पिछले पाँच वर्षों में इस भूमि पर विक्रेता 'स' के आधिपत्य की कोई प्रविष्टि नहीं है।

<u>प्रतिवादी की साक्ष्य :–</u>

प्रतिवादी ने स्वयं तथा विक्रेता 'स' का परीक्षण किया है। प्रतिवादी ने अपने प्रकथनों को प्रमाणित किया। उसने 'स' द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनाँक 11.04.2015 को भी प्रमाणित किया।

प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि खसरा नं. 212 की भूमि रकबा 2.50 एकड़ विक्रेता 'स' द्वारा उसे विक्रय करने से पहले न ही माप नहीं की गई थी और न ही उसका सीमांकन किया गया था।

विक्रेता 'स' ने कथन किया कि वह विवादग्रस्त भूमि को अपनी ख.नं. 212 की भूमि के साथ पिछले 12 वर्षों से अधिक की अवधि से कास्त करता रहा तथा न तो वादी ने और न ही उसके पिता (मृतक) ने इस बाबत् कभी कोई आपत्ति की।

प्रतिपरीक्षण में 'स' ने स्वीकार किया कि पिछले पाँच साल के खसरे में वादग्रस्त भूमि पर उसके आधिपत्य की कोई प्रविष्टि नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि वादी द्वारा प्रारंभ की गई सीमांकन कार्यवाही में उसे सूचना दी गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि वादी के द्वारा पहल किये जाने पर भूमि का सीमांकन कराने पर ही उसके ('स' के) आधिपत्य की भूमि ख.नं. 212 का वास्तविक क्षेत्र निश्चित हुआ था।

<u>तर्क वादी:–</u>

वादी के अधिवक्ता ने तर्क किया कि वादी ने अपना यह प्रकरण प्रमाणित कर दिया है कि प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया और कटीले तार की फेंसिंग लगाकर अवैध रूप से अपने भूमि में समाहित किया। वह प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि से निष्कासित करने तथा उसका आधिपत्य वापस प्राप्त करने की आज्ञप्ति पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी ने फेंसिंग लगाने और कुआँ खोदने में सद्भाव में कार्य नहीं किया। वह वादग्रस्त भूमि पर सद्भावी आधिपत्य नहीं रखता। वादी के अधिवक्ता द्वारा यह भी बहस की गई कि प्रतिवादी द्वारा राजस्व अधिकारी की सीमाकंन रिपोर्ट को अपील द्वारा चुनौती नहीं दी।

<u>तर्क प्रतिवादी :–</u>

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने तर्क किया कि उसने कटीले तार की फेंसिंग लगाने और कुआँ खोदने का कृत्य सद्भाव में यह विश्वास करते हुए किया कि यह वादग्रस्त भूमि उसके द्वारा क्रय की गई ख.नं. 212 की भूमि का भाग है। यदि वादी यह प्रमाणित करने में सफल हो जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 213 का भाग है और प्रतिवादी को उससे निष्कासित किया जाता है, तब वादी को निर्देशित किया जावे कि वह प्रतिवादी को उसके द्वारा की गई 'उन्नति' का मूल्य प्रदान करके क्षतिपूर्ति करे अथवा वादग्रस्त भूमि उसे विक्रय कर दे।

JUDGMENT/ORDER (CRIMINAL) WRITING (JMFC)
निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC)

Q. 4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given hereunder by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law. **40**

Prosecution Case :-Prosecution story in nutshell is that in the night of 2nd July 2018 at about 08.15, complainant Ramesh who is a lame, reached his home at Kandeli Narsinghpur, and found accused Manu and Ballu having liquor in front of gate of his home. Ramesh warned them not to consume liquor. Accused Manu and Ballu used filthy language about his mother and sister and also said that a lame cannot do anything to them. Ramesh entered his house and requested both the accused not to consume liquor as that was his prayer time, thereafter both the accused entered in to the house of Ramesh and thrashed him with kick and fists. Manu picked up a stick and gave a stick blow to Ramesh resulting injury to little finger of his left hand. On screaming of Ramesh, Rahees and Ramlal came there and rescued him. Thereafter, both the accused went away from the spot and Ramlal took injured Ramesh to Police Station Kotwali, Narsinghpur on his bicycle where Ramesh lodged a complaint against the accused persons.

The injured Ramesh was medically examined on the instance of police station Kotwali, in District hospital, Narsinghpur. As per medical report, three injuries *i.e.* on right cheek, back and little finger of left hand caused by hard & blunt object within 24 hours of examination were found on the body of Ramesh. X-ray was advised for the injury of little finger of left hand, in which fracture was reported by Radiologist on examination of X-ray film. Investigating officer prepared a spot map on 3rd July 2018 and recorded the statements of witnesses. Investigating Officer arrested both the accused on 5th July 2018 and prepared memo of arrest and seized a stick of Babool from accused Manu in the presence of witnesses. Completing investigation a charge sheet was filed in the court.

Defence Plea :- Both the accused advanced defence that the complainant has grudge with them because they did not lend money to him. The accused persons took a defence that complainant Ramesh fell down due to deformity in his leg and he has lodged a false complaint against them to get monetary benefits in the name of injuries.

Evidence for prosecution :- Complainant Ramesh (P.W.1) stated that, in the night of 2nd July 2018 at about 08.15, complainant Ramesh who is a lame, reached his home at Kandeli Narsinghpur, and found accused Manu and Ballu having liquor in front of gate of his home. Ramesh warned them not to consume liquor. Accused Manu and Ballu start abusing for his mother and sister and said a lame cannot do anyting to them. Ramesh entered his house. Thereafter, both the accused also entered in the house of Ramesh

and beat him with kicks and fists. Manu picked up a stick lying nearby and gave a stick blow to Ramesh and he got injuries in the little finger of left hand. The complainant went to police station Kotwali, Narsinghpur and lodged a complaint exhibit P-1.

Dr. Manoj Shrivastava (P.W.2) stated that the injuries on the body of Ramesh (P.W.1) may be caused by hard and blunt object inflicted within 24 hours of examination and a fracture of little finger of left hand was found.

Evidence for defence :- Accused persons examined his neighbour Shyam (D.W.1) who deposed that Ramesh has also lodged same type of complaints with the similar type of allegations against two another persons and compounded the same after getting money. On refusing to advance money to complainant, he has filed present false report against them.

Arguments of Prosecutor :- Prosecution case is supported with medical evidence. There is no ground in existance to disbelieve the testimony of victim. So, both the accused are liable to be convicted under section 294, 452 and 325 of Indian Penal Code.

Arguments of Defence Counsel :-No independent witness from the locality has been examined by prosecution. As per opinion of Dr. Manoj Shrivastava (P.W.2) the injuries found on body of Ramesh may be inflicted due to falling down. Their defence is proved to the preponderance of probability. So, they are entitled to be exonerated from the charges with which they are subjected to the trial.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण :– अभियोजन की कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनाँक 02 जुलाई, 2018 को रात्रि करीब 08.15 बजे फरियादी रमेश जो कि एक पैर से लंगड़ा है बाहर से अपने घर कंदेली, नरसिंहपुर पहुँचा तो उसके दरवाजे पर आरोपी मनू तथा बल्लू बैठकर शराब पी रहे थे। रमेश ने शराब न पीने के लिये चेताया तो आरोपीगण ने उसे माँ बहन की गन्दी गालियाँ दी और उससे कहा कि वह लंगड़ा उनका क्या बिगाड़ लेगा, तब रमेश घर के अन्दर चला गया तथा उसने उनसे कहा कि उसकी पूजा का समय है आरोपीगण कृपया वहाँ शराब न पियें। तब आरोपीगण घर के अन्दर घुस गये और लात–घूसों से रमेश की मारपीट की। मनू ने वहाँ से एक डण्डा उठाकर रमेश को मारा जिससे रमेश के बाँये हाथ की छोटी उंगली में चोट लगी। रमेश के चिल्लाने पर रहीश तथा रामलाल वहाँ आ गये जिन्होंने बीच–बचाव किया। तब आरोपीगण वहाँ से चले गये। रमेश को रामलाल सायकिल पर बैठाकर थाना कोतवाली, नरसिंहपुर ले गया जहाँ रमेश ने आरोपीगण के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई।

पुलिस थाना कोतवाली से रमेश को मेडीकल जाँच के लिये अस्पताल भिजवाया गया। शासकीय चिकित्सालय, नरसिंहपुर में जाँच के अनुसार रमेश की जाँच हुई तथा उसके शरीर पर तीन विभिन्न चोटें पाई गईं जो उसके दायें गाल पर, पीठ पर तथा बाँये हाथ की छोटी उंगली पर थी जो कुन्द एवं कठोर शस्त्र से होकर परीक्षण के पिछले 24 घण्टे की हो सकती थी। रमेश की बाँये हाथ की उंगली की चोट के लिये एक्स–रे की राय दी गई तथा एक्स–रे कराये जाने पर उंगली में अस्थि भंग पाया गया। अनुसंधान अधिकारी ने दिनाँक 03 जुलाई, 2018 को घटनास्थल पर जाकर मौका नक्शा बनाया तथा गवाहों के कथन लेकर अंकित किया। दिनांक 05 जुलाई, 2018 को दोनों आरोपीगण मनू तथा बल्लू को गिरफ्तार कर पंचनामे बनाये गये तथा आरोपी बल्लू के पेश करने पर एक बबूल का डण्डा गवाहों के सामने जप्त किया गया। आवश्यक अनुसंधान के उपरान्त अभियोगपत्र इस न्यायालय में पेश किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :– अभियुक्तगण का बचाव है कि फरियादी रमेश उनसे रंजिश रखता है। क्योंकि उसके माँगने पर वे उसे उधार नहीं दिया। फरियादी लंगड़ा होने की वजह से स्वयं गिर पड़ा है और गिरने से आई अपनी चोटों का लाभ उठाने के लिये उसने इस प्रकार की झूठी रिपोर्ट की है।

अभियोजन की साक्ष्य :– फरियादी रमेश (अ.सा.1) का कहना है कि 02 जुलाई, 2018 की रात्रि को जब वह अपने कंदेली, नरसिंहपुर स्थित घर पहुँचा तो उसके दरवाजे पर अभियुक्त मनु एवं बल्लू बैठकर शराब पी रहे थे। उसने शराब न पीने के लिये चेताया तो अभियुक्तगण ने उसे माँ बहन की गन्दी गालियाँ दी और कहा कि वह लंगड़ा उनका क्या बिगाड़ लेगा। वह घर के अन्दर चला गया तो अभियुक्तगण भी घर के अन्दर घुस गये और उसे लात–घूसों से पीटा। मनू ने पास में पड़ा एक डण्डा उठाकर रमेश को मारा जिससे रमेश के बाँये हाथ के छोटी उंगली और पीठ में चोटें आई। उसने थाना कोतवाली, नरसिंहपुर पहुंचकर प्रदर्श पी–1 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लेखबद्ध कराई।

चिकित्सक डॉ. मनोज श्रीवास्तव (अ.सा.2) ने परीक्षण के उपरांत रमेश (अ.सा.1) के शरीर पर पाई गई चोटों को कठोर एवं बोथरी वस्तु से आना बताते हुये बाँये हाथ की छोटी उंगली में अस्थि भंग कारित होना प्रतिवेदित किया है।

बचाव साक्ष्य :– अभियुक्तगण की ओर से पड़ोसी श्याम (ब.सा.1) का परीक्षण कराते हुये इस आशय की साक्ष्य प्रस्तुत की कि रमेश पहले भी दो अन्य लोगों के विरूद्ध इसी तरह की रिपोर्ट लिखा चुका है और उनसे धनराशि प्राप्त करके समझौता कर लेता है। अभियुक्तगण द्वारा उधार राशि दिये जाने से इंकार करने के कारण यह मिथ्या रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई है।

अभियोजक का तर्क :– अभियोजन का प्रकरण चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा समर्थित है। पीड़ित की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने के कोई कारण नहीं है। अतएव अभियुक्तगण को धारा 294, 452, 325 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाये।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :– अभियोजन ने मोहल्ले के किसी स्वतंत्र साक्षी का कथन नहीं कराया गया है। चिकित्सक डॉ. मनोज श्रीवास्तव (अ.सा.2) ने रमेश के शरीर पर पाई गई चोटों को गिरने से आना संभाव्य बताया है। उनका बचाव संभाव्यताओं की अधिसंभाव्यता के स्तर तक प्रमाणित है। अतएव उन्हें दोषमुक्त किया जाये।

****